शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 18 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 22 – 29 अप्रैल 2024 मूल्य पांच रूपये

# विधानसभा टिकट आबंटन में अपने ही तर्क में उलझी कांग्रेस

- चंद्र कुमार के वायरल ब्यान ने बढ़ाई कांग्रेस की परेशानी
- हमीरपुर और कांगड़ा में भाजपा के लिये वाकओवर जैसी स्थिति

**शिमला/शैल।** कांग्रेस अभी तक प्रदेश के दो लोकसभा क्षेत्रों और तीन विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पायी है। इस चयन में हो रही देरी अब कांग्रेस की रणनीति के बजाये उसकी हताशा और भीतरी बिखराव करार दी जाने लगी है। क्योंकि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री आते हैं। हमीरपुर से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का नाम भी एक बार उम्मीदवार के रूप में चर्चा में आया और उन्होंने सेरा विश्राम गृह में चार दिन का प्रवास करके लोगों से मिलकर इस संबंध में फीडबैक भी लिया। इस फीडबैक के बाद कमलेश ठाकुर के नाम की चर्चा वहीं पर रुक गयी। उसके बाद ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा का नाम चर्चा में आया। रायजादा के नाम की चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और उनकी बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री दोनों के नाम चर्चा में आ गये। दोनों को अलग – अलग ब्यान देकर इस संभावित उम्मीदवारी से इन्कार करना पड़ा। हमीरपुर सीट को लेकर यहां जो कुछ घटा उससे यही संदेश गया की हमीरपुर में कोई भी बड़ा नेता अनुराग ठाकुर को सही में चुनौती देने में समर्थ नहीं है। जबकि अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के खिलाफ सबसे बड़े हमलावर हैं।अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दिया है। लेकिन सुक्खू और उनका कोई भी मंत्री अनुराग को जवाब देने का साहस नहीं कर पाया। बल्कि कांग्रेस की हमीरपुर में ए और बी टीम चर्चा में आ गई। इससे अनचाहे या संदेश चला गया है कि कांग्रेस हमीरपुर में अनुराग ठाकुर को वाकओवर देना चाहती है।

कांगड़ा में रघुवीर बाली, आशा कुमारी, जगजीवन पाल, केवल सिंह पठानिया के नाम चर्चा में आये। रघुवीर बाली विधानसभा का चुनाव सबसे ज्यादा अंतर से जीते और मुख्यमंत्री के विश्वस्तों में गिने जाते हैं। इसलिए पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी कैबिनेट रैंक में संभाल रहे हैं। लेकिन कांगड़ा से लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिये वह भी तैयार नहीं हो पाये। इसके लिये राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम एक सार्वजनिक पत्र लिख बैठे। एक संभावित उम्मीदवार के इस तरह के पत्र के राजनीतिक मायने क्या होते हैं इस पर पार्टी में किसी की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी। इसी बीच कांगड़ा से ही ताल्लुक रखने वाले ओबीसी के बड़े चेहरे और सबसे वरिष्ठ मंत्री चंद्र कुमार का एक ब्यान वायरल होकर बाहर आ गया। इस ब्यान में चंद्र कुमार ने पार्टी के मौजूदा संकट के लिये मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों को बराबर का जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव के दौरान वायरल हुये इस ब्यान के राजनीतिक मायने समझे जा सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस के बागी और भाजपा भी यही आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने कुनबे को संभाल कर नहीं रख पाये हैं। इस पृष्ठभूमि में कांगड़ा से कोई सशक्त उम्मीदवार कैसे सामने आ पायेगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

यही नहीं तीन विधानसभा क्षेत्रों के लिये कांग्रेस ने जिन उम्मीदवारों की घोषणा की है उन में गगरेट और सुजानपुर में उन लोगों को उम्मीदवार बनाया है जिन्होंने अभी भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ा है। यदि भाजपा में गये कांग्रेस के बागियों को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने भी भाजपा का ही अनुसरण किया। यदि भाजपा में इस पर बगावत हो सकती है तो उसी गणित में कांग्रेस में क्यों नहीं। कुटलैहड से विवेक शर्मा को शायद इसलिये उम्मीदवार बनाया गया कि पिछले चुनाव में भूट्टो के लिए प्रचार करने के बजाये उन्होंने पूरे चुनाव में मुख्यमंत्री के क्षेत्र नादौन में ही काम किया था और कुटलैहड में वोट डालने ही आये थे। इस तरह इन टिकटों के आबंटन में कांग्रेस अपने ही तर्क में खुद फंसकर रह गयी है। माना जा रहा है की बडसर, धर्मशाला और लाहौल स्पीति में इसलिये चयन कठिन हो रहा है कि संगठन से कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है।

# डीसी शिमला, सोलन और सिरमौर को लेकर भाजपा की शिकायत चुनाव आयोग में विचाराधीन

- चुनाव अधिसूचना जारी होने तक फैसला आने की संभावना संदिग्ध
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य अभियंता प्रवीण गुप्ता के खिलाफ कारवाई से चुनाव कार्यालय का इन्कार

**शिमला/शैल।** चुनाव के दौरान में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें चुनाव आयोग में आना एक स्वभाविक प्रतिक्रिया है। चुनाव के दिनों में सारा प्रशासन कुछ अर्थों में चुनाव आयोग के नियंत्रण में चला जाता है। ताकि चुनाव आयोग प्रशासन की निष्पक्षता सुनिश्चित कर सके। इसीलिए फील्ड में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर यह आदेश किया जाता है कि जिन अधिकारियों की तैनाती एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक की हो गयी है उन्हें वहां से बदल दिया जाये। चुनाव अधिकारी उसी चुनाव क्षेत्र का मतदाता नहीं होना चाहिये यह भी शायद नियम है। यह भी देखा जाता है कि कौन सा अधिकारी अपनी तैनाती के कारण मतदाता को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित कर सकता है। इस समय शिमला सोलन और सिरमौर में तैनात जिलाधीश संयोगवश शिमला लोकसभा क्षेत्र के ही मतदाता हैं। शिमला में तैनात एसपी भी इसी क्षेत्र से मतदाता है। यह मतदाता होने का संज्ञान लेकर प्रदेश भाजपा ने चुनाव आयोग से इनकी शिकायत करके उन्हें यहां से तुरन्त बदलने का आग्रह किया। यह शिकायत एक माह पहले की गई थी। लेकिन इस पर अब तक कोई कारवाई नहीं हो पायी है और न ही भाजपा की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। जबकि जब यह शिकायत की गई थी तो इस शिकायत की प्रति प्रैस को भी जारी की गयी थी। इस शिकायत के बारे में जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यकाल से जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि यह शिकायत चुनाव आयोग को भेजी गयी है और वहां विचाराधीन है। चुनाव अधिसूचना जारी होने तक इस बारे में कोई फैसला हो पायेगा या नहीं इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय कुछ नहीं कह पाया। इसी तरह एक शिकायत चुनाव आयोग को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बद्दी में तैनात मुख्य अभियंता प्रवीण गुप्ता को लेकर पहुंची थी। आरोप लगाया गया है कि यह अधिकारी लम्बे अरसे से इसी क्षेत्र में तैनात है और प्रभावशाली है। इस पर चुनाव आयोग ने प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से रिपोर्ट मांगी थी। इस शिकायत पर निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि प्रवीण गुप्ता चुनाव के किसी भी कार्य में संबद्ध नहीं है इसलिए उनको लेकर कोई कारवाई नहीं की गयी है।

# वर्ष 2023 में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी

**शिमला/शैल।** राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आम लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के दौरान सहयोग करने के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने की पहल करना सराहनीय है, जिससे अन्य लोगों को भी

प्रेरणा मिलेगी।

राज्यपाल पुलिस मुख्यालय में आयोजित सड़क सुरक्षा पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों और प्रवर्तन का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और संस्थान के समर्पण और प्रयासों की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है इसलिये यहां सड़क सुरक्षा की चुनौतियां अधिक हैं। हालांकि इन चुनौतियों का सामना करने का हमारा संकल्प और भी मजबूत है। सुरक्षात्मक उपायों, जागरूकता और नवीन रणनीतियों के माध्यम से हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में अच्छी सड़क सुविधा के कारण यहां पर्यटकों की आमद वर्षभर अधिक रहती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पर्यटन सीजन के दौरान और सप्ताहांत में औसतन 10 हजार वाहन राज्य में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रतिदिन औसतन 450 वाहनों का पंजीकरण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग और अन्य विभाग संयुक्त रूप से सड़क दुर्घटनाओं के इस खतरे को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना अत्यन्त आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों के कारण ही वर्ष, 2022 की तुलना में वर्ष, 2023 के दौरान सड़क यातायात दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी देखी गई है।

राज्यपाल ने सड़क सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों को बधाई देते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है।

इससे पहले राज्यपाल ने सड़क सुरक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुलिस कर्मियों, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने पुलिस विभाग द्वारा तैयार किया गया सड़क सुरक्षा गीत भी जारी किया।

इससे पहले, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने राज्यपाल का स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष, 2021 तक 100 दुर्घटनाओं में 44 मौतें होती थीं, लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर 37 हो गया है। ब्लैक स्पॉट की पहचान करने से दुर्घटनाओं में कमी आयी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस विभाग आधुनिक सुविधाएं अपनाकर और अन्य सहयोगी विभागों के सहयोग से लोगों को जागरूक कर रहा है, उससे आने वाले समय में प्रदेश में काफी बदलाव नजर आएगा।

इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक गुरदेव चंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित एक प्रस्तुति दी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था अभिषेक त्रिवेदी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गृह एवं नागरिक सुरक्षा राकेश अग्रवाल, पुलिस, लोक निर्माण एवं परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

# राज्यपाल ने पैन्शनर कल्याण संघ की स्मारिका का विमोचन किया

**शिमला/शैल।** राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में पैन्शनर

कल्याण एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की स्मारिका का विमोचन किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पैन्शनधारकों ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन पैन्शनधारकों के बीच सौहार्द और भाईचारे की भावना को बढ़ाने के साथ-साथ उनके कल्याण के लिए सराहनीय कार्य कर रही है।

राज्यपाल ने एसोसिएशन की गतिविधियों एवं प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था पैन्शनधारकों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने एसोसिएशन से भविष्य में भी इसी तरह के प्रयास जारी रखने का आहवान किया।

इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

# निर्वाचन विभाग में प्राप्त हुई 813 शिकायतें

**शिमला/शैल।** मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि 16 मार्च, 2024 को आम चुनावों की घोषणा और राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरान्त निर्वाचन विभाग को 813 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य एवं जिला सम्पर्क केंद्रों पर टोल फ्री नंबर 1800-332-1950 पर राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल /कॉल सेंटर के माध्यम से 485 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य और जिला आदर्श आचार संहिता नोडल अधिकारियों के माध्यम से 241 शिकायतें प्राप्त हुई और 87 शिकायतें सी-विजिल पोर्टल पर अपलोड की गई हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त 485 शिकायतों में से 461 का निस्तारण कर दिया गया है और 24 शिकायतें निपटारे के लिए लंबित हैं, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। राज्य और जिला स्तर पर एमसीसी नोडल अधिकारियों के माध्यम से 241 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 176 का निपटारा कर दिया गया है। 65 शिकायतें संबंधित विभागों और फील्ड अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के दृष्टिगत लंबित हैं, जिनकी जांच की जा रही हैं।

सी-विजिल पोर्टल पर 87 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 44 शिकायतें रद्द कर दी गई हैं क्योंकि ये या तो फर्जी पार्यी गयीं या पोर्टल की जांच के लिए हितधारकों द्वारा दायर किए गए मामले हैं। 43 लम्बित शिकायतों पर 100 मिनट की अवधि के भीतर कार्यवाही की गई है।

निर्वाचन विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से अलग-अलग माध्यमों और आमजन के पास शिकायत दर्ज करवाने के लिए उपलब्ध साधनों के माध्यम से प्राप्त 90 प्रतिशत शिकायतों का निपटारा कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सी-विजिल शिकायतों का निपटारा सौ मिनट के भीतर सुनिश्चित किया जा रहा है। सी-विजिल की सबसे अधिक शिकायतें जिला ऊना में प्राप्त हुई हैं जबकि किन्नौर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक शिकायतें बिना अनुमति से पोस्टर और बैनर लगाने, निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए प्रचार करने और कर्मचारियों के व्यवहार से संबंधित रिपोर्ट की गई हैं।

# राज्यपाल से प्रशिक्षु अधिकारियों ने भेंट की

**शिमला/शैल।** राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से हिमाचल प्रदेश वित्त एवं

लेखा सेवा के 30 प्रशिक्षु अधिकारियों ने राजभवन में भेंट की। ये प्रशिक्षु अधिकारी हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा), शिमला में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि वित्तीय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में सफल होना उनके समर्पण व कड़े परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय जनहित और राज्य कल्याण को सर्वोच्च अधिमान देना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षुओं से कहा कि उनका उद्देश्य अपने ईमानदार प्रयासों और राज्य के प्रति सच्ची निष्ठा से हिमाचल को सशक्त बनाना होना चाहिए।

शुक्ल ने कहा, आप जिस भी विभाग में सेवा करें, नैतिकता व मर्यादा बनाये रखें और अपनी सेवाओं के प्रति समर्पित रहें।

उनसे बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जनता के प्रति जवाबदेही बहुत जरूरी है। राज्यपाल ने उन्हें पेशेवर दृष्टिकोण के साथ अधिक समर्पण और ईमानदारी से काम करने को कहा।

हिप्पा के अतिरिक्त निदेशक प्रशांत सरकैक ने बताया कि उक्त प्रशिक्षण पांच-पांच महीने में दो भागों में होगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रशिक्षुओं को परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। दोनों भागों में सफल उम्मीदवारों को ही वित्त विभाग द्वारा किसी सरकारी विभाग या संस्थान में नियुक्त किया जाएगा।

पाठयक्रम निदेशक-सह-संयुक्त निदेशक हिप्पा राहुल लांबा ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी उपस्थित थे।

# 100403 में से 70343 शस्त्र धारकों ने जमा करवाए शस्त्र

**शिमला/शैल।** निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों की शत-प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक कुल 100403 लाइसेंसधारी शस्त्रधारकों में से अब तक 70343 शस्त्र जमा करवाए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 3278 हथियारों को रद्द अथवा जब्त किया गया।

उन्होंने बताया कि बद्दी में 1350, बिलासपुर 4913, चम्बा 5603, हमीरपुर 3898, कांगड़ा 12468, किन्नौर 1406, कुल्लू 4653, लाहौल-स्पीति 222, मण्डी 7281, नूरपुर 3954, शिमला 12111, सिरमौर 5791, सोलन में 3877 और ऊना जिला में 2816 शस्त्र जमा करवाए जा चुके हैं।

निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत सी-विजिल के माध्यम से अब तक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से 73 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आचार संहिता के प्रभावी होने से 23 अप्रैल, 2024 तक प्राप्त कुल शिकायतों में से 36 का निपटारा सुनिश्चित किया गया जबकी 37 शिकायतें सही न पाये जाने के कारण खारिज कर दी गई।

# 7.59 करोड़ की अवैध शराब, 30 लाख रुपये की नकदी जब्त

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव और उप-चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस, आबकारी और अन्य सम्बंधित विभागों द्वारा 10.60 करोड़ रुपये की अवैध शराब, नकदी, आभूषण जब्त किये गये हैं।

निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य कर एवं आबकारी तथा पुलिस विभाग ने 7.59 करोड़ रुपये मूल्य की 5.28 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की।

उन्होने बताया कि पुलिस विभाग ने अब तक 75.70 लाख रुपये की 37.85 किलोग्राम चरस, 1.34 करोड़ रुपये कीमत की 1.91 किलोग्राम हेरोइन तथा 29.18 लाख रुपये की नकदी पकड़ी है। अब तक लगभग 6.85 लाख रुपये के सोने व चांदी के आभूषण भी जब्त किये जा चुके हैं।

जिला कांगड़ा में एक बड़े अभियान के तहत, राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ साझा अभियान में इंदौरा तहसील के मंड क्षेत्र के तीन गांव गग्वाल, उलेहरियां और त्योरा में छापेमारी कर 1.01 लाख लीटर लाहन जब्त की जिसका मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

# लाहौल स्पीति के लोगों की संस्कृति ईमान बेचने की नहीं:मुख्यमंत्री

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाहौल स्पीति जिला के दौरे पर केलांग में विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि लाहौल स्पीति के लोगों की संस्कृति ईमान बेचने की नहीं है। आपके विधायक ने अपना ईमान ही नहीं, धर्म भी बेचा है। बिकाऊ विधायक को दोबारा जिताकर नहीं भेजना है। मेरी लड़ाई कुर्सी की नहीं, आम आदमी के लिए है। मैं खनन माफिया, भू माफिया और नशाखोरी के खिलाफ लड़ रहा हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए लड़ रहा हूं। आपके विधायक ने ईमानदारी का चोला पहनकर खुद को राजनीतिक मंडी के बाजार में खुद को बेचा है, उन्हें वोट के जरिये सबक सिखाना है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह हैं और विधानसभा उपचुनाव में जिस भी उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलेगा, उन्हें जिताना हैं। लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक कभी उनके पास लाहौल, स्पीति व उदयपुर के विकास के लिए नहीं आये। मुख्यमंत्री के नाते मैंने खुद अत्याधिक बजट दिया है, आगे और भी दिया जाएगा। लाहौल स्पीति प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना है, जिसकी 18 साल से अधिक उम्र की सभी गरीब महिलाओं को 1500 रुपये मिलना शुरू हो गए हैं। एक साल में 18000 रुपये मिलेंगे, आपके केलांग से ही इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की शुरूआत हुई और बावजूद इसके यहां के विधायक बिक गए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। भाजपा ने वोट के जरिये बनी सरकार को नोटों के दम पर गिराने और मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने की साजिश रची है, चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर उन्हें सबक सिखाना है। सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू कर दिया है ताकि प्रदेश के बच्चे देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। लाहौल स्पीति से आपने कांग्रेस का विधायक जिताकर भेजना है, चुनाव परिणाम के बाद वह फिर केलांग आएंगे। सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है। लाहौल स्पीति जिला सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।

कांग्रेस पार्टी ने लाहौल स्पीति में उम्मीदवार घोषित करने के लिए संभावित नामों का एक पैनल तैयार किया है। जिसमें जिला परिषद चेयरमैन अनुराधा, जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, रतन बौद्ध, दोरजे लारजे, पूर्व विधायक रधुवीर ठाकुर, कुंगा बौद्ध और रपटन बौद्ध इत्यादि शामिल हैं। अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान करेगा।

# विकास कार्यो में बाधा डाल रहा चुनाव आयोग:जगत सिंह नेगी

**शिमला/शैल।** बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह प्रदेश में विकास कार्यो में बाधा डाल रहा है। उन्होंने आयोग पर प्रदेश के साथ विकास के मामलों को लेकर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है लंबे समय से विभिन्न विभागों से सम्बंधित 34 मामलों में से 27 मामले आयोग के पास अनुमति के लिये लंबित पड़े है। उन्होंने आयोग पर जानबूझ कर इन्हें लटकाने का आरोप लगाया है।

एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के चलते आवश्यक कार्य, जोकि हर साल नियमित तौर पर होते है, पूरी तरह ठप पड़ गए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊपरी भागों में मौसम के अनुरूप ही सड़कों या अन्य जनहित से जुड़े कार्य थोड़े समय ही होते है। अगर इस समय यह कार्य पूरे नही हुये तो इसका नुकसान लोगों को भुगतना पड़ सकता है।

नेगी ने कहा कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही सरकार ने अपने इन आवश्यक व नियमित कार्यो को पूरा करने के लिये आयोग से अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आयोग से उन विभागों में नियुक्तियों के परिणाम निकालने की अनुमानित भी मांगी थी, जिनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग में स्कूलों के लिये डेस्क बैंच खरीद के लिये टेंडर लगने थे वह भी नही लग रहें है जबकि स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इसी तरह अध्यापको के रिक्त पद भी भरे जाने थे।

जगत सिंह नेगी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उसके पास पड़े सभी जनहित के कार्यो की पूरा करने की अनुमति सरकार को दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव अंतिम चरण में है और लंबे समय तक आचार संहिता के चलते विकास कार्य बुरी तरह प्रभवित हो रहें है इसलिए आयोग को प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यो को पूरा करने की अनुमति अभिलंब दी जानी चाहिए।

# दूध को एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल:चंद्र कुमार

**शिमला/शैल।** कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा है कि पिछले दस वर्षों से केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में जुमलों की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों से उनकी आय को दोगुना करने का वादा किया था लेकिन यह बात जुमला सिद्ध हो चुकी है। भाजपा ने किसानों की आय को दोगुना करना तो दूर, बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क़ानून बनाने की मांग कर रहे किसानों की आवाज़ को बलपूर्वक कुचलने का प्रयास किया और आन्दोलन कर रहे 50 से अधिक किसानों की हत्या की गई।

चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार ने गाय के दूध में 13 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य 45 रुपए कर दिया है, जबकि भैंस के दूध का ख़रीद मूल्य बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया गया है। उन्होंने कहा कि दूध की ख़रीद पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। इसके साथ ही मनरेगा मज़दूरी में 60 रुपए की ऐतिहासिक बढ़ौतरी की तथा प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए तथा मक्की का रेट 30 रुपए तय किया गया है। उन्होंने कहा कि पशु पालकों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जिला कांगड़ा के ढगवार में 1 लाख 50 हजार लीटर प्रतिदिन की क्षमता का दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रही है, जिसकी क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकती है। यह संयंत्र पूरी तरह से स्वचालित होगा जिस पर 226 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या को देखते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने निजी गौ-सदनों में आश्रित गौवंश के लिए दिए जाने वाले अनुदान 700 रुपए को बढ़ाकर 1200 किया गया है। चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के निरंतर प्रयास कर रही है, क्योंकि गाँव को आत्मनिर्भर बनाकर ही प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह वर्तमान राज्य सरकार की इच्छाशक्ति का प्रतीक है कि कृषि को स्वरोज़गार के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़कर किसानों की आय को बढ़ाना का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के यह सभी प्रयास किसान की आय को बढ़ाने व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे।

# जयराम सरकार में महिलाओं के साथ अपराध के रिकॉर्ड 9876 मामले हुए दर्ज

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने कहा है कि पालमपुर में हुई घटना बेहद दुखद है, लेकिन भाजपा का इस पर राजनीति करना उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीड़ित परिवार को इलाज के खर्च के साथ-साथ हर संभव मदद का आश्वासन दिया है लेकिन भाजपा नेता इस मामले पर राजनीतिक रोटियाँ सेंक रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह से संवेदनशील है और न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में क़ानून अपना काम कर रहा है और दोषी के विरुद्ध कड़ी कारवाई अमल में लायी जा रही है। राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखे तथा पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की दर सबसे अधिक रही। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में 1755 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, जबकि अपहरण के 1648 केस दर्ज हुए और हत्या के 130 मामले रजिस्टर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में कुल महिलाओं के साथ अपराध के 9876 मामले दर्ज किए गए, जो हिमाचल प्रदेश की किसी भी सरकार के कार्यकाल का रिकॉर्ड है।

भवानी सिंह पठानिया ने कहा कि भाजपा सिर्फ ओच्छी राजनीति करने में लगी है, जबकि युवाओं के हित बेचकर पिछली भाजपा सरकार ने सबसे बड़ा गुनाह किया है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की सरेआम नीलामी होती रही। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में पुलिस भर्ती का पेपर बिका। इसके साथ-साथ हमीरपुर कर्मचारी अधीनस्थ चयन आयोग में कई परीक्षाओं के पेपर नीलाम हुए, लेकिन जयराम सरकार ने इस पर जानबूझकर आँखें मूँद कर रखी। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ इतना बड़ा गुनाह बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है और पिछली भाजपा सरकार ने युवाओं के हितों के बेचने वालों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया।

# भाजपा ने किया शिक्षा का बेड़ा गर्क:रोहित ठाकुर

**शिमला/शैल।** वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एक प्रैस वक्तव्य में कहा है कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा का बेड़ा गर्क हुआ और गुणात्मक शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग देश भर में 18वें स्थान पर पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पिछले लगभग डेढ़ वर्ष में अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरम्भ की, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार आ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार व्यवसायिक शिक्षा में सुधार के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है ताकि युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिल सकें।

रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग में 7000 से अधिक जेबीटी, टीजीटी पीजीटी तथा कॉलेज लैक्चरर के पद सीधी भर्ती तथा बैचवाइज के आधार पर भर रही है ताकि अध्यापकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई में बाधा न पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सभी स्तर के स्कूलों में संसाधनों के सांझे प्रयोग के लिए स्कूल क्लस्टर योजना भी आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में इसी सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई आरम्भ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 6000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों में प्री नर्सरी की कक्षाएं शुरू की गई हैं, जिसके लिए नर्सरी टीचर के पद सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान कर दी गई है तथा शीघ्र ही प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से एक-एक राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोल रही है ताकि विद्यार्थियों को प्रदेश के भीतर ही गुणात्मक शिक्षा दी जा सके। उन्होंने कहा कि यह स्कूल, आने वाले समय में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अध्यापकों को विदेशी दौरों पर भेजा जा रहा है ताकि वे वहां जाकर शिक्षा क्षेत्र में प्रदान की जा रहे मानकों एवं विधि बारे सीख सकें तथा शिक्षा के क्षेत्र में यहां और सुधार लाया जा सके।

रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 850 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ-साथ स्मार्ट क्लासरूम तथा अन्य सुविधाएं आरम्भ की जाएंगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने एसएमसी अध्यापकों, आईटी अध्यापकों तथा कम्प्यूटर अध्यापकों के मानदेय में समुचित बढ़ौतरी की गई है।

# भाजपा नेता कांग्रेस पर आधारहीन आरोप लगा रहे:संजय अवस्थी

**शिमला/शैल।** प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष एवं मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने भाजपा को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए कहा है कि जिस पार्टी के नेताओं ने कोविड के दौरान पीपी किट्स, सेनेटाइजर व मास्क तक के घोटाले किये हो आज वह अपने आप को बहुत ही ईमानदार होने का दावा कर रहें है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को उस समय अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। भाजपा के नेता आज कांग्रेस पर झूठे व आधारहीन आरोप लगा कर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहें है।

संजय अवस्थी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की आलोचना करते हुए कहा है कि मण्डी संसदीय सीट पर जिस प्रकार उन्हें अपना पसीना बहाना पड़ रहा है,उसे देख कर उन पर तरस आ रहा है। मण्डी संसदीय सीट पर उनके प्रत्याशी की हार निश्चित है क्योंकि लोग अभिनेता को नही नेता को पसंद करते है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर कंगना के पीआरओ बन कर उनका स्टेज संचालन कर रहें है।

अवस्थी ने जयराम ठाकुर के उस ब्यान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वह मुख्यमंत्री होते तो राज्यसभा सीट हारने के बाद पद से इस्तीफा दे देते पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि छलकपट से भाजपा ने इस सीट को जीता है, जबकि बहुमत कांग्रेस के पास है। उन्होंने कहा कि जयराम प्रदेश में मण्डी संसदीय सीट सहित प्रदेश के तीन उप चुनाव चार जीरो से बुरी तरह हारे, उस समय उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का पद क्यों नही छोड़ा। प्रदेश में उनकी सरकार होते हुए प्रदेश के लोगों ने धनबल को पूरी तरह ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि सत्ता की लालसा में भाजपा नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है और इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस के छः विधायकों की खरीद फरोख्त कर लोकतंत्र में जनमत का अपमान किया है। प्रदेश के लोग उन्हें इस अपमान का बदला इन चुनावों में पराजित कर देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की चारों लोकसभा व छः उप चुनावों में कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहरायेगी। भाजपा को उसकी करनी का फल 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद मिल जाएगा।

तुम अपनी मंजिल को तो रातों – रात नहीं बदल सकते परंतु अपनी दिशा को रातों रात बदल सकते हैं।
..... स्वामी विवेकानंद

## सम्पादकीय

# कांग्रेस के घोषणा पत्र पर क्यों उठ रहे सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे तक भाजपा का हर बड़ा छोटा नेता कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को लेकर आक्रामक हो उठा है। कुछ लोगों ने तो इसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दे दिया है। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आयी तो वह आपकी संपत्ति छीन कर मुस्लिमों में बांट देगी। इस आरोप को सैम पित्रोदा के एक टीवी चैनल में आये एक वक्तव्य के साथ जोड़कर उठाया जा रहा है। सैम पित्रोदा कांग्रेस के विदेश विभाग के अध्यक्ष हैं वह टी.वी. चैनल की बहस में विदेशों में संपत्ति कर के बारे में जिक्र कर रहे थे और इसमें यह कह गये कि भारत में ऐसा कर नहीं है। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह नहीं कहा है कि भारत में भी ऐसा कर होना चाहिये। सम पित्रोदा के वक्तव्य पर जब देश के प्रधानमंत्री आक्रामक हो जाये तो इस आरोप का समझना और कांग्रेस के घोषणा पत्र को पड़ना पत्रकारिता का धर्म तथा कर्म दोनों हो जाता है। फिर जब कांग्रेस के नेता इस आरोप पर चुप्पी साध ले तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इस समय चुनाव चल रहे हैं और इसके परिणाम देश के भविष्य पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे क्योंकि बहुत सारे नेता प्रधानमंत्री को ईश्वरीय अवतार की संज्ञा देने लग पड़े हैं। यह स्वभाविक है कि जब एक व्यक्ति को इस तरह के संबोधनों से संबोधित किया जाने लग पड़ता है तो वहां पर तर्क शून्य होकर रह जाता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण करवाने की बात कही गयी है। जातिगत जनगणना बिहार में मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने करवाई थी और इस जनगणना को सर्वोच्च न्यायालय की भी हरी झण्डी हासिल है। इस जनगणना के जब आंकड़े सार्वजनिक हुये तब यह सामने आया कि 80% गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग में से आते हैं। बिहार के इन आंकड़ों पर भाजपा ने एतराज उठाया था और राज्य में नीतीश भाजपा की सरकार टूटने में यह एक बड़ा कारण बना था परन्तु आज फिर भाजपा और नीतीश चुनाव में इकटठे हैं। बिहार के आंकड़ों के बाद देश के कई भागों से जातिगत जनगणना की मांग उठी है। शायद इन्हीं आंकड़ों के कारण आर्थिक सर्वेक्षण की आवश्यकता समझी गयी है। क्योंकि पिछले दिनों में एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में यह सामने आया है कि भारत की कुल संपत्ति के चालीस प्रतिशत पर केवल एक प्रतिशत का कब्जा है। इस अध्ययन में स्पष्ट चेतावनी दी गयी है कि आने वाले समय में भारत में आर्थिक असमानता एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जायेगा। भारत में 1953 में विरासत कर लगाया गया था। जिसे 1985 में स्व. राजीव गांधी के कार्यकाल में वापस लिया गया था। उसके बाद गिफ्ट टैक्स 1998 में और 2015 में वैल्थ टैक्स वापस लिया गया था। लेकिन इसी दौरान वियना स्थित ग्लोबल पॉलिसी सेंटर के निदेशक जैफरी आन्ज का सुझाव आया था कि भारत को विरासत कर फिर से लगाना चाहिए। इस सुझाव पर 2019 में यह टैक्स फिर से लगाने की संभावना बन गयी थी। मोदी सरकार के दस वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संसाधनों को निजी क्षेत्र के हवाले किया गया है और बड़े घरानों की ऋण माफी हुई है। उसके चलते आर्थिक सर्वेक्षण शायद अब समय की मांग बन जायेगी। ऐसे में आर्थिक सर्वेक्षण के सुझाव को संपत्ति छीनने का प्रयास करार देना सामान्य समझ से बाहिर की बात है और इसे हताशा की संज्ञा दी जाने लगी है।

# नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम समाज की भ्रांतियां और उसका समाधान

गौतम चौधरी

भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर मुसलमानों के अन्दर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। यही नहीं, उन भ्रांतियों को खत्म करने के बजाये समाज के प्रबुद्ध जन एवं कुछ पूर्वाग्रही बुद्धिजीवी व राजनेता उसे और रूढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निःसदेह इस कानून में कुछ परिर्वन किया गया है। इस अधिनियम के तहत धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रक्रियाएं स्थापित की गई है। इसका लक्ष्य, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आये हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। नागरिकता के मामले में एक कसौटी तय की गयी है। इस कानून में साफ कहा गया है कि उक्त इस्लामिक देशों से जो व्यक्ति 2014 तक भारत आ गये और उस समय से भारत में निरंतर रह रहे हैं, उन्हें बिना किसी बैध दस्तावेजों के भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। चूंकि इन देशों के अल्पसंख्यक भारत में इसलिए शरण ले रहे हैं कि वहां उनके साथ शासन और प्रशासनिक प्रतिष्ठानों के द्वारा अमानवीय यातनाएं दी जा रही है। स्वाभाविक रूप से यहां सवाल उठता है कि उक्त देशों के केवल अल्पसंख्यकों को ही क्यों, मुसलमानों को क्यों नहीं? इस सवाल के लिए सीधा – सा जवाब दिया गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश है और वहां इस्लाम धर्मावलंबियों को यातनाएं नहीं दी जा रही है, जबकि अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर भीषण भेद – भाव का सामना करना पड़ रहा है। इस्लाम के मानने वाले वहां से भेद – भाव के कारण नहीं अपितु अच्छी सुविधा या किसी और मानसिकता से प्रेड़ित होकर भारत आएंगे, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कठिन परिस्थिति में अपनी मूल भूमि छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं।

नागरिकता संशोधन कानून 2019 को धार्मिक आधार पर नागरिकता प्राप्ति के लिए विशेष प्रक्रियाएं स्थापित करने का आरोप लगाया जा रहा है। मुसलमानों के कथित रहनुमाओं के मुताबिक यह उनके खिलाफ एक भेदभावपूर्ण कदम है और संविधान के समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल्यों के खिलाफ है। इसी प्रकार का चिंतन देश के कुछ पूर्वाग्रही बुद्धिजीवी और राजनेता भी प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों के बीच प्रचारित किया जा रहा है कि नागरिकता कानून उनके समुदाय को अलग करने और समाज को विभाजित करने का प्रयास है। जिसके मुताबिक वे इसको एक राजनीतिक फैसले के रूप में देखते हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें मानवाधिकारों और समानता से वंचित करना है। तो यहां साफ कर देना जरूरी है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मुसलमानों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है और नागरिकता प्राप्ति के लिए किसी विशेष धार्मिक समुदाय को भी निर्दिष्ट नहीं करता है। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को यह अधिनियम नागरिकता प्राप्ति के लिए कोई नया प्रक्रियात्मक ढांचा नहीं लागू करता है और उनके समान अधिकारों और विशेषाधिकारों को यह अधिनियम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। यह अधिनियम विभाजन के पश्चात भारत में अवैध प्रवासी समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि तक भारत में शरणार्थी के रूप में मौजूद, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई समुदायों को नागरिकता प्रदान करना है। इस अधिनियम का निर्माण विशेष रूप से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदायों को, जो एक निश्चित अवधि तक भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं संरक्षित करने के लिए किया गया है। जगह जगह किए जा रहे धरना और प्रदर्शनों में एक महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख किया जा रहा था और वो था संविधान का प्रियेंबल यानी प्रस्तावना। जिसका उल्लेख करते हुए नागरिकता कानून 2019 के विरोधियों के द्वारा लगातार कैंपेन चलाए जा रहे थे। प्रस्तावना की दुहाई देते हुए नागरिकता कानून 2019 का विरोध किया जा रहा था।

संविधान की प्रस्तावना का आशय भारत के नागरिकों के लिए है। जिस नागरिकता कानून 2019 का विरोध उद्देश्य अथवा प्रस्तावना के आधार पर किया जा रहा था, उस कानून का कोई संबंध भारत के किसी भी नागरिक से नहीं है। उपरोक्त कानून में उन्हीं लोगों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समूह हैं, उनके उन शरणार्थियों, जो सीएए की शर्तो के मुताबिक एक अवधि से भारत में निवास कर रहे हैं, उन लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है।

जहां तक सवाल उन तीन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की नागरिकता देने का है, तो वो मात्र इसलिए कि कहीं न कहीं उक्त देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों का जुड़ाव भारत से है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन तीनों देशों में इस्लामी चरमपंथी शक्तियों का प्रभुत्व है, जो अपनी ही विपरीत विचारधारा के मुसलमानों को उन देशों में शांतिपूर्ण ढंग से जीने नहीं देते, तो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां शरीयत कानून लागू है और पाकिस्तान में इसे लागू करने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। ''हिमायते इस्लामी'' नामक संगठन के द्वारा बकायदा इसके लिए समूहों की स्थापना कर दी गई है, जो बड़े पैमाने पर कैंपेन चला कर शरीयत निजाम को लागू करवाने के लिए पूरे पाकिस्तान में माहौल तैयार कर रहा है। इसके मुताबिक शरीयत निजाम लागू करने पर गैर मुस्लिमों को जिम्मी करार देकर उनसे जिजिया वसूला जाएगा और शासन प्रशासन में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। जाहिर तौर पर उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनना होगा या पलायन करके किसी दूसरे देश में शरण लेनी होगी। ऐसी स्थिति में सिवाय भारत के उन अल्पसंख्यकों का कोई ठिकाना फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, जहां वे अपनी आस्था के साथ रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जी सकें।

भारत के मुसलमानों को इस अधिनियम का स्वागत करना चाहिए ताकि कट्टरपंथियों द्वारा सताये गये इंसानों को न्याय और सुरक्षित पनाह मिले और उन शरणार्थियों के दिलों में मुसलमानों के प्रति सद्भावना जाग्रत हो। वो मैल निकल जाये जिसे कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी शक्तियों ने उनके हृदय में जगह बना लिया है।

# प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए मुख्यमंत्री को पूर्व विधायक लखनपाल का पत्र

सेवा में,
आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला।

श्रीमान जी,

आपकी सेवा में आपके विचारार्थ पर कुछ उद्गार प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने में कुछ सहायता हो सके तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझुंगा:

1. समूचे पर्यावरणीय तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर दिन प्रतिदिन पिघलते जा रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरुप अतिरिक्त जल प्रदेश की झीलों में बढ़ रहा है। ओवरफ्लो होकर नदी नालों में बाढ़ की स्थिति भी बन रही है। चंद्रताल आदि झीलों में बड़ा हुआ जलस्तर प्रदेश की नदियों में यथा रवि, ब्यास, चिनाव, सतलुज में बढ़कर पाकिस्तान जा रहा है। 1962 में भारत–पाकिस्तान के मध्य जल बंटवारे की Indus water Treaty लेकर हुई थी इस संधि के तहत जितना जल व्यूसिक्स जल पाकिस्तान को जाना था उससे कहीं अधिक जल नदियों में प्रवाहित हो रहा है। भारत के अधिकार क्षेत्र में उपरोक्त अतिरिक्त जल का उपयोग हम कानूनी रूप से कर सकते हैं। ग्लेशियर से उत्पन्न अतिरिक्त जल को यदि मेडिसिनल मिनरल वाटर के रूप में बॉटलिंग प्लांट लगाकर तथा उसे भारत व अन्य देशों में भी बेचा जा सकता है। इस जल में नैर्सगिक रूप से इम्यूनिटी बूस्टर के गुण होते हैं। आवश्यकता उचित प्रचार प्रसार की होगी।

इस संदर्भ में प्रदेश में लगभग पांच यूनिट दो लाख बोतल प्रतिदिन क्षमता के लगाये जायें बिक्री के संसाधन तलाश कर एक कारगर विक्रेय तंत्र विकसित किया जाना चाहिये। हमारे कई कॉरपोरेशन निष्क्रिय पड़े हैं। उन्हें सजग कर यह कार्यभार सौंपा जाना चाहिए। सरकार को प्रति बोतल न्यूनतम 2 रूपये की रियलिटी लेकर उसका उचित मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिये।

पर्यावरणीय आवश्यकंताओं तथा वन्य जीव तटीय वन संपदा, सिंचाई तट बांधों की बनावट की आवश्यकता एवं बिजली उत्पाद प्रोजेक्ट की जरूरत व Indus water Treaty के अंतर्गत जल का भाग हिमालय की नदियों में जो आवश्यक रूप से बहाना चाहिए उसके अतिरिक्त जल का दोहन इस कार्य में किया जाये तो भी प्राप्त जल पांच इकाइयों के लिये कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। जिससे प्रदेश के राजस्व में लगभग 1300 करोड़ की वृद्धि सालाना हो सकती है।

2. 1966 में पंजाब के बंटवारे के फलस्वरूप भाखड़ा व पौंग बांधों से बिजली प्रोजेक्टस के द्वारा उत्पादित बिजली का कानूनी प्रतिभाग जो उत्पाद का 7.9% बनता था। As Envisaged in Punjab Reorgantsation act 1966 वह हिमाचल प्रदेश को कभीभी नहीं मिला था। हमने जन अधिकार संघर्ष मंच के द्वारा सरकार पर दबाव डाला और नब्बे के दशक में वीरभद्र सरकार पर दबाव डाला गया और नब्बे के दशक में वीरभद्र सरकार ने इस कानूनी हक के लिये उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी जिसका निर्णय हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया था। लगभग 4000 करोड रुपए की Decree द्वारा पंजाब हरियाणा व राजस्थान की सरकारों से हिमाचल प्रदेश को देय था जो अभी तक नहीं मिला है। केंद्र सरकार इस राशि को हितकारी प्रदेशों से दिलवाये अथवा उन प्रदेशों की समितियां को अजराय के द्वारा कुर्क करने की इजाजत देकर अज़राय की प्रक्रिया प्रारंभ की जाये।

3. उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद भाखड़ा पौंग बांधों के बीबीएमबी परियोजनाओं से उत्पादित बिजली का भाग हिमाचल प्रदेश को अब भी नहीं मिल पाया है। निर्णय के बाद का एरियर भी 2000 करोड़ के ऊपर हो गया है। जिसकी वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिये।

4. भाखड़ा बांध और पौंग बांध से विभिन्न भूस्वामियों की जो भूमि जलमगन हुई उसका मुआवजा तो औने पौनें दाम चुका कर बांध निर्माण कार्य संपन्न हो गया था। लेकिन इस प्रक्रिया में जो सरकारी भूमि जंगल, मिनरल जल, पूजा स्थल, टेलीग्राफ लाइनें, सार्वजनिक उपक्रम, दरिया के नीचे की भूमि जो पहले रियासती शासकों के नाम पर भी तथा बाद में संघ सरकार व हिमाचल प्रदेश के नाम पर हो गई उसका कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। यह मुआवजा निर्धारित किया जाकर हितधारकों से वसूल किया जाना चाहिये। ऋण की अदायगी तब तक स्थगित की जानी चाहिए तथा ब्याज की वसूली स्थगित की जानी चाहिए जब तक निर्णय हमारे पक्ष में नहीं हो जाता।

5. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत जो भू भाग हिमालय में मिलाये गए थे उस भूमि पर स्थित बांधो व नहरों का स्वामित्व हिमाचल प्रदेश सरकार का हो जाने के फलस्वरूप जो भूमि बांधों के नीचे हैं इस जमीन की मल्कीयत कानूनी रूप से हिमाचल प्रदेश की हो जाने के फलस्वरुप (See Act) अत: बीबीएमबी पर हमारी मल्कीयत बनती है।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में से बीबीएमबी के गठन के अध्याय को समाप्त कर हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी की मलकीयत सौंपी जाये इस आश्य का हिमाचल विधान सभा द्वारा सर्वसम्मता प्रस्ताव पास कर केन्द्र सरकार को भेजा जाना चाहिये।

6. कहलूर रियासत के भारतीय संघ में विलय के पहले भाखड़ा बांध को लेकर भाखड़ा गांव कहलूर रियासत का हिस्सा था। राजा साहब कहलूर व पंजाब सरकार के मध्य तीन अनुबंध हुये थे वह सारे अनुबंध All these three agreements are attached with the file of HP State Vs Union of India, Punjab Haryana,Rajsthan Govt. filed by the HP Govt. in Supreme Court of India इन अनुबंधों को पंजाब सरकार व केंद्र सरकार ने कभी भी लागू नहीं किया। बांध का कार्य संपूर्ण हो जाने के बाद पंजाब सरकार का डेवलपमेंट टैक्स लगाये जाने का प्रावधान था जो की कहलूर राज्य को देय था। जिसे न कभी लगाया गया न कभी दिया गया। इन अनुबंधों की दूसरी कई शर्तों को बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया। जिन्हें लागू करने का दबाव बनाना चाहिए।

7. हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में डॉ. वाईएस परमार द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव की जल को कच्चा माल (Raw material) घोषित किए जाने संबंधित प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरुप राव कमिश्नर का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। फलस्वरुप नदियों पर बने बांध व बिजली उत्पादन प्रोजेक्टस से मूल राज्य को 12% मुफ्त बिजली दिये जाने का निर्णय हुआ था। फलस्वरूप कुछ प्रोजेक्टस से यह भाग हिमाचल प्रदेश को मिलने लगा लेकिन अभी भी कौरिक से लेकर भाखड़ा तक सतलुज मनाली से लेकर पौंग बांध तक ब्यास, लाहौल स्पीति से लेकर पठानकोट तक रावी, चंद्रताल से चिनाव आदि नदियों पर बने बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट का 12% मुफ्त बिजली का भाग आज तक नहीं मिला। इसका आकलन किया जाये तथा वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाये।

8. हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था। अत: इसकी संपत्तियां भी केंद्र सरकार में निहित थी। लेकिन पूर्ण राजत्व प्राप्त करने के बाद हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का एक राज्य बन गया। अत: केंद्रीय जल विद्युत प्रोजेक्ट की मलकियत (यथा चमेरा I-II) भी संविधान के अनुसार तमाम परिसंपत्तियां हिमाचल प्रदेश सरकार में निहित हो जानी चाहिये थी। अत: इसका संवैधानिक अधिकार हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए। Seven Schedule (Entry No.17) State list of the Consttution of india

9. Punjab Reorganisation Act 1966 के अंतर्गत चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 7.19% है। चंडीगढ़ की परिसंपत्तियों का उपयोग आज दिन तक केंद्र सरकार पंजाब व हरियाणा सरकारें ही करती आ रही हैं। हिमाचल को भी उसके भाग की परिसंपत्तियों को प्रदेश को सौंपा जाये या उचित मुआवजा दिया जाये।

10. पंजाब सरकार ने 1966 से पहले चंडीगढ़ में तमाम पंचायतों के फंड्स को POOL कर पंचायत भवन बनाया था। जो भूभाग पंजाब से हिमाचल में शामिल हुये उनकी पंचायतों का पैसा भी इसी भवन में लगा हुआ है। डॉ. वाईएस परमार के मुख्यमंत्रीत्व काल तक पंचायत भवन चंडीगढ़ के कुछ कमरे हिमाचल के लिये आरक्षित हुआ करते थे। अत: यह स्थिति बहाल कर इस भवन का भाग हिमाचल भवन चंडीगढ़ की परिसंपत्ति समझा जाये या कोई अन्य भवन इसके बदले दिया जाये।

11. इस समय प्रदेश में लगभग 13000 MW क्षमता जल विद्युत का दोहन हो रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बिजली उत्पादन कर दो पैसे प्रति यूनिट के दर से लगाने का प्रस्ताव सतर के दशक में मैंने रखा था। इसके बाद की सरकार ने शायद दो बार इस आशय का सर्वसम्मत प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पारित करवा कर केंद्र सरकार को भेजा था ऐसे मेरी जानकारी है। अत: इस मसले को फाइनैन्स कमिश्न व नीति आयोग व केंद्र सरकार से दोबारा उठाया जाये और विद्युत उत्पादन कर दो पैसे प्रति यूनिट की दर से लगाया जाये ताकि प्रदेश की आय में वृद्धि हो।

12. प्रदेश में प्रवेश करने वाले प्रत्येक सैलानी से पर्यावरण टैक्स के रूप में काम से कम 5 रूपये प्रति व्यक्ति वसूली की जाये जिससे राजकीय कोष में वृद्धि होगी।

13. देश के पर्यावरण व इकोलॉजी को संतुलित करने की पहल के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस प्रदेश में वन कटान पर रोक लगा दी थी। फलस्वरुप वनों की हमारी आय नगण्य हो गई है। सरकारी नीतियों के चलते वन क्षेत्र के विस्तार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। धुओं रहित ईंधन के शत प्रतिशत प्रयोग से निजी व सरकारी वनों पर पड़ने वाला भार बहुत कम हो गया है। निजी वनों से भी सरकार को आये होती थी। वह भी बहुत कम हो गई है। यदि बाकी प्रदेशों की औद्योगिकरण से पर्यावरण की प्रदूषित करने का अधिकार है तो क्या पर्यावरण को संरक्षित करने का भार केवल हिमाचल प्रदेश को ही है। अत: समूची स्थितियों को ध्यान में रखते हुए देश की पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने के एवज में राजस्व घाटा की भरपाई केंद्र सरकार करे। हिमाचल प्रदेश के ऋण के बोझ को राइट ऑफ करके भविष्य में ऋण पर ब्याज माफी भी की जाये।

14. प्रदेश की तमाम झीलों में प्राकृतिक व मानव निर्मित झीलों में मछली का उत्पादन बढ़ाया जाये। ट्राउट मछली के उत्पादन को शीतजल की झीलों या नदियों में बढ़ावा दिया जाये। मछली को डिब्बा बन्द करने में लघु व मध्यम उद्योग लगाये जाये तथा मछली उत्पादन से टैक्स लगाकर प्रदेश की आमदनी में इजाफा हो सकता है।

15. हिमाचल प्रदेश में कल्लड फ्रूट व सब्जियां सेब, संतरा, किन्नू आम, अमरूद व गुटलीदार फल, टमाटर, गोभी इत्यादि को सरकारी या गैर सरकारी एजेंसीयों के द्वारा खरीद व प्रोसेसिंग की जाये क्योंकि यह नेशनल वेस्टेज है। प्रोसेसिंग से जूस पल्प या अन्य उत्पादन तथा खाद भी बनाई जा सकती है। प्रदेश के सेवानिवृत फ्रूट टेक्नोलॉजिस्ट तथा आर.सी. शर्मा करेर निवासी चिरंजित प्ररमार मंडी निवासी लाला भतराम कडहोता के बेटे जो सरकारी नौकरी छोड़कर बीडीएम द ग्रेट में कार्यरत हैं तथा प्रदेश की दोनों विश्वविद्यालय के योग्य सांइन दोनों के सहयोग से यह कार्य किया जा सकता है।

16. विरोजा का निर्यात बंद कर दिया जाये। बिरोजा मंडी ऊना में स्थापित की जाये। सरकारी व गैर सरकारी विरोजा उसी मंडी से बाहर जाये ताकि सरकार को आय हो।

17. निजी भूमि से खैर की लकड़ी का प्रयोग प्रदेश के बाहर निर्यात बंद किया जाये अथवा जीएसटी टैक्स दुगना कर दिया जाये। इससे प्रदेश की आय भी बढ़ेगी निर्यात न होने से प्रदेश में कथा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अत: सरकारी आय में वृद्धि होगी।

19. खैर एक ऐसी प्रजाति है जिसमें कंदरू नाम की बीमारी लग जाती है और यह बीमारी बहुत पुराने पेड़ों में लगती है। पेड़ को अंदर – अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है। हरे पेड़ों के कटान पर पाबंदी की वजह से सरकारी जंगलों में यह वन संपदा स्वयं ही नष्ट हो जाती है। अत: सरकारी जंगलों में यह वन संपदा स्वयं ही नष्ट हो रही है। अत: सरकारी जंगलों में सिल्विकल्चर विधि से खैर के पातन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए ताकि यह संपदा नष्ट होने से भी बच जाये तथा राज्य को आमदनी का स्रोत भी बन जाये। खैर काटने के बाद तीन फसलें देता है। सरकारी खैर के वनों का नवीनीकरण भी हो जायेगा। अत: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार खैर को कांटेदार झांडी शराब घोषित किया गया है।

19. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित मंदिरों में पहुंचने वाले प्रत्येक श्रधालू को (गुरुद्वारा एवं दरगाह) निम्नलिखित वस्तुएं दी जाये।

क) देवी देवता सिद्ध पुरुष महात्मा का गिल्ट बना हुआ पैन्डैंट/लॉकेट या सिक्का

ख) प्रसाद रोटी या अन्य प्रसाद जो जिस स्थान में दिया जाता है

ग) भभूत का छोटा पैकेट

इन सबका सामान्य सा मूल्य वसूला जाये अत: यह एक अतिरिक्त आय का स्रोत होगा।

20. जितने भी उद्योग लकड़ी के बालण का प्रयोग अपनी भटटी में करते हैं उन्हें चिन्हित किया जाये तथा उनकी भट्टीयों से निकलने वाला राख, जो की व्यर्थ ही जाता है को इक्कठा करके छान कर साफ कर छोटे पैकेट में (100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम व 1 किलो) भरकर बिक्री की जाये। (सोसाइटियों या अन्य माध्यम से) जो बर्तन साफ करने के लिए हर घर में उपयुक्त होती है क्योंकि रसायन युक्त डिटर्जेंट जो बर्तन साफ करने के काम आते हैं धरती को विषैला बना रहे हैं। व्यापक स्तर पर वन विभाग व भूस्वामियों को प्रेरित करके तोरी का उत्पादन करवाया जाये और तोरी को पक्ने पर बड़े पैमाने पर इकटठा करवाकर किसी निगम की जिम्मेदारी सौंपी जाकर घरों में बर्तन साफ करने की कुचियां बनाई जाये। यह तोरी से ही बन सकती है। लोहे की कुचियां मानव को व पर्यावरण को नुकसान दे रही है। इस प्रकार वन विभाग, कृषि विभाग, बागवानी विभाग व कृषकों की आय में वृद्धि होगी तथा सरकार के कोष में भी वृद्धि होगी।

# देश की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन एसजेवीएन की बड़ी उपलब्धि

**शिमला/शैल।** एसजेवीएन लिमिटेड ने झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में कंपनी के 1,500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पॉवर स्टेशन (एनजेएचपीएस) में भारत की पहली बहुउद्देशीय (ताप और विद्युत संयुक्त) हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन करने के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। परियोजना में बनने वाली हरित हाइड्रोजन का उपयोग एनजेएचपीएस की उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन (एचवीओएफ) की कोटिंग सुविधा में उसकी दहन ईंधन आवश्यकताओं के लिये किया जायेगा। इसके साथ ही यह 25 किलोवॉट क्षमता के ईंधन सेल के जरिये बिजली भी पैदा करेगा।

देश के इस पहले बहुउद्देशीय (ताप और विद्युत संयुक्त) हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन 24 अप्रैल, 2024 को चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक गीता कपूर ने किया। परियोजना के बारे में चेयरपर्सन ने कहा, ''भारत सरकार के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के साथ आगे बढ़ते हुये एसजेवीएन की यह हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना विद्युत क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन उत्पादन की बुनियादी सुविधाओं के विकास में तेजी लाने की तैयारी है, इसके साथ ही हरित हाइड्रोजन को एक स्वच्छ उर्जा स्रोत के तौर पर स्थापित किया जा रहा है।''

अत्याधुनिक तकनीक वाली यह हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना दैनिक आठ घंटे के परिचालन में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन उत्पादन को तैयार है। उत्पादन की गई हाइड्रोजन को 12 एम 3 की कुल भंडारण क्षमता वाले छः भंडारण टेंकों में 30 बार के दबाव में रखा जायेगा। परियोजना 20 एनएम3/घंटा क्षमता के एल्कालाइन इलेक्ट्रोजाइजर का उपयोग करते हुये हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी, जो कि वाधाल, शिमला स्थित एसजेवीएन के 1.31 मेगावाट सौर उर्जा संयंत्र से आपूर्ति की जाने वाली नवीकरणीय उर्जा से संचालित होगी।

बिजली उत्पादन के साथ ही हरित हाइड्रोजन का उपयोग टरबाइन के पानी में रहने वाले हिस्सों में उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन कोटिंग के लिये भी किया जायेगा।

अपनी यात्रा के दौरान एसजेवीएन चेयरपर्सन ने झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश, स्थित एनजेएचपीएस नियंत्रण कक्ष से रामपुर एचपीएस की दूर संचालित यूनिट-2 के माध्यम से 1,500 मेगावाट नाथपा झाकरी हाइड्रो पॉवर स्टेशन (एनजेएचपीएस) और 412 मेगावाट रामपुर हाइड्रो पॉवर स्टेशन (रामपुर एचपीएस) के अपनी तरह के पहले केन्द्रीकृत परिचालन का भी उद्घाटन किया। रामपुर एचपीएस का एनजेएचपीएस के साथ टेंडम आपरेटिंग प्रणाली के जरिये सफलतापूर्वक परिचालन किया जा रहा है।

गीता कपूर ने इस सफलता के लिये एनजेएचपीएस की टीम, रामपुर एचपीएस और एसजेवीएन कार्पोरेट मुख्यालय स्थित इलेक्ट्रिकल डिजाइन टीम द्वारा किये गये समर्पित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने समूची रामपुर एचपीएस परियोजना को एनजेएचपीएस से ही संचालित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिये कर्मचारियों से लगातार पूरी लगन के साथ काम करने का आग्रह किया।

एनजेएचपीएस के परियोजना प्रमुख मनोज कुमार, रामपुर एचपीएस के परियोजना प्रमुख विकास मारवाह, इलेक्ट्रिकल डिजाइन विभाग प्रमुख हरीश कुमार शर्मा, और एनजेएचपीएस, रामपुर एचपीएस और कार्पोरेट मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे।

# प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन पर पांच दिवसीय कार्यशाला आरम्भ

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के सहयोग से प्राकृतिक आपदाओं और आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में आपदा जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यहां पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने और संकट के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं

की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना है। कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. गोपाल बेरी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में घायलों को बेहतर ईलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए अस्पतालों में अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उन्होंने आपदा प्रबंधन योजनाओं और तैयारियों को लागू करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने समस्त प्रतिभागी स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद सुरक्षा संस्कृति का प्रचार करने का आग्रह किया। इसके अलावा, उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आपदा प्रबंधन को अस्पताल संचालन और पाठयक्रम में एकीकृत करने पर भी बल दिया। प्रतिभागियों में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान और क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र के संकाय सदस्य और अधिकारी, शिमला, सोलन और बिलासपुर जिलों के आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारी शामिल थे। कार्यशाला के दौरान उपस्थित लोग हेल्थकेयर सुविधा तैयारी योजना (एचडीएमपी), आपदा प्रबंधन में स्वास्थ्य देखभाल प्रशासकों की भूमिका, आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीएमपी) की तैयारी, आपूर्ति श्रृंखला और रसद प्रबंधन, और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ट्राइएज जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अग्निशमन और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के विशेषज्ञों द्वारा भूकंप, बाढ़ या आग के परिदृश्यों से जुड़े सिमुलेशन अभ्यास की सुविधा प्रदान की जाएगी। कार्यशाला के दौरान आपदा तैयारियों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी प्रकाश डाला जाएगा जिसमें रोग निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक शामिल हैं। इसके अलावा आपात स्थिति के दौरान मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य पर चर्चा विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। 3 मई, 2024 को कार्यशाला का समापन आपदा और आपातकालीन स्थितियों में पोषण और जल स्वच्छता और स्वच्छता (डब्ल्यूएएसएच) पर सत्रों के साथ होगा।

कार्यशाला का व्यापक लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायियों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम लचीली स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का निर्माण किया जा सके। कार्यशाला के शुभारम्भ अवसर पर एसआईएच एंड एफडब्ल्यू के प्रिंसिपल डॉ. अजय कुमार दत्ता और पद्मश्री डॉ. ओमेश भारती सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।

# आम चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न

## शाम 7 बजे तक 60.96 प्रतिशत मतदान हुआ
## 1 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की गई

**शिमला/शैल।** आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के तहत 88 लोकसभा सीटों पर शाम 7 बजे तक लगभग 60.96 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था। 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाता गर्म मौसम की स्थिति के बावजूद पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए आगे आए। नवविवाहितों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों, जनजातियों से लेकर आईटी पेशेवरों, दिव्यांगों, महिलाओं और युवाओं तक, सभी वोट डालने के लिए कतारों में खड़े नजर आए। चरण-2 के समापन के साथ, आम चुनाव 2024 के लिए 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान पूरा हो गया है।

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान सुचारू और शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान, 1 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की गई।

गर्मी के मौसम में मतदाताओं की सुविधा के लिए बिहार के बांका, मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर निर्वाचन क्षेत्रों के कई मतदान केंद्रों पर मतदान का समय शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया गया था। साथ ही, मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गर्मी से निपटने के लिए शामियाना, पीने का पानी, चिकित्सा किट, पंखों की व्यवस्था सहित विशेष व्यवस्था की गई।

मतदान अधिकारी और मतदाता समान रूप से 'चुनाव का पर्व' मनाने के लिए अपनी पारंपरिक पोशाक में आये। राजस्थान के सीकर में महिला मतदाता गर्मी के बावजूद अपनी पारंपरिक पोशाक में आयी। कर्नाटक के वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर्मचारियों ने पारंपरिक पोशाक पहनकर मतदाताओं का स्वागत किया।

चरण 2 में, छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर संसदीय क्षेत्रों के 46 गांवों के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने ही गांव में स्थापित मतदान केंद्र में वोट डाला। इस प्रकार, चरण 1 सहित, कुल मिलाकर, ग्रामीणों की सुविधा के लिए इन पीसी में पहली बार 102 नए मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे।

आयोग ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी), बुजुर्ग, युवा और पहली बार मतदाताओं, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को मतदान की सुविधा देने के लिए विशेष प्रयास किए थे।

क्रिकेट के सुपरस्टार अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और जवागल श्रीनाथ सहित अन्य को बेंगलुरु के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदान करते देखा गया। अपनी स्याही लगी उंगलियों के साथ मुद्रा बनाते हुए, उन्होंने युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के महत्व का संदेश दिया।

त्रिपुरा में धलाई विधानसभा क्षेत्र के सुदूर इलाके राइमा घाटी के मतदाता वोट डालने के लिए नावों के माध्यम से मतदान केंद्रों पर आये।

# तीसरे चरण में 1351 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव

**शिमला/शैल।** लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में 12 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 1351 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के 29-बैतूल (अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित) संसदीय क्षेत्र में स्थगित चुनाव के लिए लड़ रहे 8 उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र से एक उम्मीदवार को निर्विरोध चुना गया है। सभी 12 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल, 2024 थी।

लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान के लिए 12 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 95 संसदीय क्षेत्रों (29-बैतूल सहित) के लिए कुल 2963 नामांकन दाखिल किए गए। सभी 12 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024 थी। दाखिल सभी नामांकनों की जांच के बाद 1563 नामांकन वैध पाये गये।

तीसरे चरण में, गुजरात में 26 संसदीय क्षेत्रों से अधिकतम 658 नामांकन दाखिल किए गए थे, इसके बाद महाराष्ट्र में 11 संसदीय क्षेत्रों से 519 नामांकन थे। महाराष्ट्र में 40-उस्मानाबाद संसदीय क्षेत्र में अधिकतम 77 नामांकन प्राप्त हुए, इसके बाद छत्तीसगढ़ में 5-बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में 68 नामांकन प्राप्त हुए।

# डॉ. मनीष गौर ने IIIT ऊना के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला

**शिमला/शैल।** इंडियन इंस्टीटयूट आफफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) उना ने डॉ. मनीष गौर को नये निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। डॉ. गौर ने पहले डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी (AKTU), लखनऊ में प्रो-वाइस चांसलर के रूप में कार्य किया है। वे वर्तमान में IIT जम्मू में सहायक प्रोफेसर भी हैं।

डॉ. गौर की शैक्षणिक पृष्ठभूमि प्रभावशाली है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, यूके से कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी, IIT दिल्ली से एम.टेक., और NIT सूरत से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उनका अनुसंधान कार्य औपचारिक विधियों, बड़े सिस्टम के सत्यापन, और समवर्ती प्रोग्रामिंग भाषाओं के अर्थशास्त्र पर केंद्रित है।

AKTU में सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज के संस्थापक निदेशक के रूप में, डॉ. गौर ने साइबर सुरक्षा, मेकाट्रोनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, और ऊर्जा विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए शैक्षणिक कार्यक्रम और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ अकादमिक फेलोशिप (2012), कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप (2005), और उत्तर प्रदेश सरकार

का यंग साइंटिस्ट अवार्ड (2003)।

डॉ. गौर की नियुक्ति से IIIT ऊना में नए नेतृत्व और नवाचार की उम्मीद की जा रही है। उनके अनुभव और उद्योग संगठनों के साथ उनके जुड़ाव से IIIT ऊना का शैक्षणिक और अनुसंधान माहौल और समृद्ध होगा। IIIT ऊना का समुदाय डॉ. गौर का स्वागत करता है और उनके नेतृत्व में संस्थान की निरंतर वृद्धि और सफलता की आशा करता है।

# विकास को रिवर्स गियर में ले जाना कांग्रेस की आदत:अनुराग ठाकुर

**शिमला/शैल।** केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा की हिमाचल प्रदेश से भाजपा की सरकार जाने के बाद यहां सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं। भाजपा जो विकास कार्य शुरू कर गई थी, कांग्रेस ने उसे भी रुकवाने का काम किया है। राज्य हो या देश कांग्रेस सदैव विकास की गाड़ी को रिवर्स गियर में ले जाती है। वहीं मोदी 3.0 में देश विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु टॉप गियर में यात्रा करने को तैयार है।

इससे पूर्व अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर के जुखाला में हुये यात्री बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने एम्स बिलासपुर के अधिकारियों व जिलाधिकारी से वार्तालाप कर दुर्घटना की जानकारी ली है तथा घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।

अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के विकास की बात करते हुए कहा कि भाजपा सदा ही विकास की बात और राजनीति करती है जबकि कांग्रेस विकास को रिवर्स गियर में जाना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। पहले हिमाचल प्रदेश में एक भी ढंग की रेलवे लाइन नहीं थी। हमने ऊना दौलतपुर चौक वाली रेल लाइन पूरी करवा दी। देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन ऊना से चली जो मात्र 4:30 घंटे में दिल्ली पहुंचा देती है। इसके अलावा आज ऊना से हरिद्वार, खाटू श्याम, कोलकाता, नादेड साहब, वृंदावन, मथुरा, ओंकारेश्वर, ग्वालियर, आगरा, इंदौर और महाकाल लोक तक की सीधी ट्रेनें हैं। लगभग 1800 करोड़ का एम्स अस्पताल बना दिया, 500 करोड़ का पीजीआई बना रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी, एनआईडी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज सब खुलवा दिया। धर्मपुर विधानसभा में तो दो केंद्रीय विद्यालय हैं। आज हमीरपुर धर्मपुर मंडी की सड़क 1200 रूपये करोड की लागत से बन रही है। यह सब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सभी लोग हैं। इससे पता चलता है कि हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हिमाचल के अंब में जब हम रेलवे लाइन बनवा रहे थे तब उसके बगल में एक मस्जिद पड़ गई थी तब हमने लाखों रुपए अलग से खर्च कर वहां पुल बनवाया। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस देश को क्षेत्रवाद, भाषा और जाति के नाम पर बांटना चाहती है परंतु मोदी जी एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्यरत हैं।

कांग्रेस ने तो अपने 10 वर्षों में सेना को एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दिया, मोदी सरकार ने दिया। हमने वन रैंक, वन पेंशन चालू की। आज सेना के पास राफेल से लेकर सभी अत्यधिक हथियार हैं जिससे वह दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। हमने सिर्फ बॉर्डर पर 6800 किलोमीटर से ज्यादा सड़के बनाई हैं। आज तेजस जैसा लड़ाकू विमान और आईएनएस विक्रांत जैसा युद्धपोत देश स्वयं बना रहा है। हमने मात्र पिछले साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा के रक्षा उत्पादन किए हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब हमारी सेना डोकलाम सीमा विवाद के समय चीन से लोहा ले रही थी तब राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ थे। आज भी जब पूरे विश्व में युद्ध के हालात हैं तब राहुल गांधी कहते हैं कि देश से परमाणु हथियारों को खत्म कर देना चाहिए। तो आखिर कांग्रेस का हाथ देश के साथ है या विदेश के साथ है? राहुल गांधी बतायें कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वायनाड से चुनाव लड़ने में पीएफआई और एसडीपीआई का साथ लेना जरूरी है। उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि टुकड़े-टुकड़े गैंग के आदमी को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाना जरूरी है। उनकी ऐसी क्या मजबूरी है की हिंदुओं की संपत्ति घुसपैठियों को देना जरूरी है।

आज कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहां पथराव बंद है और आतंकवाद लगभग खत्म होने के कगार पर है। हमने नॉर्थ ईस्ट में लगभग 11 शांति समझौते किये। आज देश में नक्सली हथियार डाल रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी इन मुद्दों का समाधान नहीं किया बल्कि उन्हें बढ़ने दिया। यह फर्क है कांग्रेस की मजबूर सरकार में और मोदी की मजबूत सरकार में। भारत परमाणु शक्ति भी श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेई जी की सरकार में बना था।

# बिंदल ने मुख्यमंत्री पर कसा तंज कहा माल मालको का मशुरी खुद की

**शिमला/शैल।** भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नगर में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा की कांग्रेस के देश में 10 साल के शासनकाल में केवल घोटालों की चर्चा होती थी। बिंदल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कांग्रेस कार्यकाल के घोटाले गिनाये जैसे पनडुब्बी, कोयला 2जी, जीजा और साला सब का घोटाला।

बिंदल ने कहा की 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खराब थी, मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और अर्थव्यवस्था को 11वें पायदान से 5वें पायदान तक पहुंचाया। कमजोर देश को मजबूत देश बनाया।

उन्होंने कहा कि आज सिरमौर को आईआईएम मिला जिसके ऊपर 500 करोड़ का खर्चा आया यह दुनिया का सबसे सुंदर इंस्टिट्यूट है। केंद्र ने नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए 265 करोड़ भेजें पर कांग्रेस पार्टी ने उसका काम बंद करवा दिया, वो कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है यहां कोई बीमार नहीं होता। बिंदल ने लगातार कांग्रेस को लताड़ा।

उन्होंने कहा की हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश को सड़क निर्माण एवं रखरखाव के लिए एक लाख करोड़ की घोषणा की है। पूरे हिमाचल में 12500 करोड़ से ज्यादा के सड़क और नेशनल हाई वे निर्माण के कार्य चल रहे हैं। इस मौके पर डॉ. राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे के बारे में भी बताया उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति जाते हुए भी सड़के एकदम चकाचक है।

उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशान साधते हुए कहा कि जो उपलब्धियां मुख्यमंत्री गिना रहे है, वह केंद्र द्वारा भेजी गई है ऐसा प्रतीत होता है कि माल मालको का और मसूरी खुद की। काम केंद्र कर रही है, प्रदेश का उसमे कोई योगदान नहीं है और तब भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन कामों की वहा वाही लूटने का प्रयास कर रहे है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां भी गिनाई, विशेष कर किसानों को हुए फायदे पर बोले। बिंदल ने कहा की यह तभी मुमकिन है क्योंकि यह मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और उसका जो फायदा हुआ उससे पूरे देश में सभी वर्गो के उत्थान का कार्य किया गया।भारत आत्मनिर्भर बन रहा है जिससे चीन की ऐसी की तैसी हो रखी है।

# प्रधानमंत्री की योजनाएं लोगों तक बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुची:जयराम ठाकुर

**शिमला/शैल।** पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में इस समय मोदी की लहर चल रही है। इसके पीछे नरेन्द्र मोदी के दस साल की मेहनत हैं। दस साल में जो हुआ वह पिछले सत्तर सालों में भी नहीं हो पाया। चाहे आज किन्नौर और बॉर्डर एरिया की सड़के हों या नेटवर्क से लेकर अन्य तरह की कनेक्टिविटी। हर क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हुआ है। किन्नौर के लोग भी इसके गवाह हैं। प्रधानमंत्री की योजनाएं लोगों तक बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुची हैं। पहले के प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो 85 पैसे बिचौलिये खा जाते हैं लेकिन मोदी ने ऐसा प्रबंध किया की एक भी पैसा बिचौलिये नहीं ले सकते। जो दिल्ली से आता है वह किन्नौर के दूर से दूर बैठे व्यक्ति को पूरा का पूरा मिलता है। उन्होंने किन्नौर से जुड़ी यादे साझा करते हुए कहा कि यहां आकर बहुत खुशी मिलती है।

किन्नौर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में क़ानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ-साथ कांग्रेस के मंडी संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी से पूछा कि जब किन्नौर के संस्थान मुख्यमंत्री बंद कर रहे थे आप उसका विरोध करने की बजाये उनका समर्थन क्यों कर रहे थे? जब वह रोते हुए मंत्रीमण्डल त्यागपत्र दिया तो सरकार पर सवाल उठाए, आखिर फिर उन्हीं की नीतियों नाम पर वोट माँग रहे हैं, जबकि प्रतिभा सिंह ने तो सरेआम चुनाव लड़ने से मना कर दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने एफ़आरए (वनाधिकार क़ानून) के 344 अधिकार दिए जबकि कांग्रेस ने एक भी नहीं दिए। इस मौक़े पर कंगना रनौत, किन्नौर ज़िला अध्यक्ष यशवंत नेगी समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि पंद्रह महीनें की सरकार ने तो पुरानी योजनाएं चल रही थी, उन्हें भी बन्द कर दिया। हिमकेयर की योजना से प्रदेश के लाखों लोगों को बीमारी के समय 5 लाख का मुफ़्त इलाज मिल रहा था वह भी बंद कर दिया। एक लाख नौकरियां देने के लिए कहा था, एक नौकरी नहीं दी, 11 हज़ार से ज्यादा युवाओं को नौकरी से निकाल दिया। गोबर ख़रीदने से लेकर 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया, महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कहीं थी, लेकिन दिया कुछ नहीं। हमने बिना कहे, बिना गारंटी दिये बस का किराया महिलाओं के लिए आधा किया, 30 हज़ार असहाय लोगों को हर महीनें 3 हज़ार रुपए की पैन्शन दी।

# मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में चल रही फ्लॉप सरकार:रणधीर शर्मा

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश में अनुभवहीन नेता सरकार चला रहे और इस सरकार को भविष्य में भी फ्लॉप सरकार के रूप में जानी जाएगी। मीडिया विभाग प्रभारी व विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल को फ्लॉप सरकार की संज्ञा दी जाये तो कोई गलत नहीं होगा। यह सरकार हर क्षेत्र में फेल हुई हैं, इनके कार्यकाल में कोई जनहित की योजना नहीं बनी, कोई चुनावी वायदा पूरा नहीं किया, कोई जन चुनावी गारंटी पूरी तरह से लागू नहीं की गई। उल्टा अनेक जन विरोधी निर्णय लेकर प्रदेश की जनता को प्रताड़ित किया।

प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था बुरी तरह से विफल हुई हैं। हर रोज़ कोई न कोई बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था से सम्बंधित खड़ा होता है। उन्होंने कहा अभी पालमपुर की घटना को लोग भूले नहीं थे कि पिछले कल शिमला में एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आ गई। इस सरकार के समय अपराधिक घटनाओं में बढ़ौतरी कांग्रेस सरकार में हुई है। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार के 16 महीने के कार्यकाल में 42 घटनाएं हत्या की हुई है, 34 अटेम्प्ट टू मर्डर के केस दर्ज हुए, 86 बलात्कार, 321 चोरी की वारदातें, ड्रग्स से सम्बंधित मामले है 6000 से ऊपर हैं जो कि पुलिस विभाग में दर्ज हैं। यह सरकार की विफलता हैं क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल में असामाजिक तत्वों का गुंडा तत्वों का हौसला बढ़ा हैं और इस सब के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। ज़ब प्रदेश का मुख्यमंत्री खुलेआम शराब पीने वालों को ढील कि बात करे अपनी चुनावी रैली में भूटो को कुटो जैसे नारे देकर अपराधियों के हौसलें बुलंद करते हो तो प्रदेश की क़ानून व्यवस्था किस तरफ जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की गैर जिम्मेदाराना ब्यानबाजी के कारण आज प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही हैं।

उन्होंने कहा उन से एक कदम आगे दिल्ली में इनका इंड़ी गठबंधन जनता की सम्पत्ति और गाढ़ी कमाई सर्वे के नाम पर ज़ब्त करने की फ़िराक में है। कांग्रेस और इंडी एलायंस वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई धन दौलत सम्पत्ति घर जमीन जायदाद ज़ब्त करने की फ़िराक में है। आपकी पैतृक संपत्ति और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मेहनत से बनाये गये सभी संसाधनों को भी हड़पने का सपना देख रही कांग्रेस अपने मकसद को पूरा के लिए इसे पुनर्वितरण का नाम दे रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस और इंड़ी गठबंधन के घोषणा पत्र से यह तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट झलक रही है की आम जनता की संपत्ति घर सोना एफडी कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा यही कांग्रेस का हिडन एजेंडा है।

# एनडीए का मकसद गरीब को सशक्त करना:राजीव भारद्वाज

**शिमला/शैल।** भाजपा प्रत्याशी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ राजीव भारद्वाज ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन जयसिंहपुर में भाग लिया उनके साथ प्रदेश महामंत्री डॉ सिकंदर कुमार, संसदीय क्षेत्र प्रभारी विपिन परमार विशेष रूप में उपस्थित रहे। राजीव ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ करती है। लेकिन, इंडी गठबंधन के लोग ईवीएम को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। विपक्ष के लोग ईवीएम को बदनाम कर हटाना चाहते थे। कुछ दिन पूर्व इन्हीं लोगों के मुंह पर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने करारा तमाचा मारा है। यह लोकतंत्र की विजय है। पहले कांग्रेस के शासन में बैलेट पेपर लूटे जाते थे। गरीबों और दलितों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। जब इन्हें ईवीएम की ताकत मिली, तो चुनाव के दिन वोट हड़प करने वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनके सपने चूर-चूर हो गए हैं। इन लोगों को अब देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में एनडीए की सरकार है जिसका मकसद है देश और गरीब को सशक्त करना।

सिकंदर कुमार ने ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने कहा है कि देशभर मे हर परिवार की मेहनत की कमाई का सर्वे करेंगे। सोचिए उनकी मंशा क्या है। विरासत टैक्स लेंगे। उनके घोषणापत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। यह लोग संविधान बदलना चाहते हैं। कांग्रेस आप के मंगलसूत्र का एक्स-रे और गहने तक का हिसाब-किताब करने की बात करती है। कांग्रेस का इरादा है कि, जिस के पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

# क्या विधायकों की कथित खरीद फरोख्त का कोई साक्ष्य सार्वजनिक हो पायेगा

- क्या बागियों के सवालों का कोई जवाब आ पायेगा
- क्या नादौन में विलेज कामनलैण्ड खरीद बेच हो रही है?
- कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव में जारी चार्जशीट पर कारवाई कब होगी

**शिमला/शैल।** प्रदेश सरकार की स्थिरता विधानसभा उपचुनाव के परिणामों पर निर्भर करेगी। यह विधानसभा में विभिन्न दलों के सदस्य आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। इसलिये सत्तारूढ़ कांग्रेस छः उपचुनावों में से एक सीट जीतकर भी सुरक्षित हो जाती है। इस स्थिति को बनाये रखने के लिये ही शायद निर्दलीय विधायकों के मामले को लम्बा किया जा रहा है। यही तर्क और गणित मुख्य संसदीय सचिवों के मामले में अपनाया जा रहा है। उपचुनाव में एक सीट भी जीत जाने के लिये इस उप चुनाव का मुख्य मुद्दा छः विधायकों द्वारा राज्य सभा में क्रॉस वोटिंग करने के बाद भाजपा में शामिल होने को बनाया जा रहा है। इस दल बदल को इन विधायकों द्वारा पन्द्रह-पन्द्रह करोड़ में बिकने का आरोप लगाया जा रहा है। भाजपा पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह धनबल के सहारे कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहती है। इस आरोप को प्रमाणित करने के लिये पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया गया है। लेकिन अभी तक पन्द्रह-पन्द्रह करोड़ के लेनदेन का कोई भी ठोस साक्ष्य जनता के सामने नहीं रखा गया है। जबकि इस लेन-देन के आरोप को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ भी सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा ने विधिवत शिकायतें दर्ज करवा रखी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस कथित लेनदेन को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाना चाहते हैं। यदि इस कथित लेनदेन का कोई भी साक्ष्य चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री सार्वजनिक कर पाये तो निश्चित रूप से यह आरोप बागियों के साथ चिपक जायेगा। यदि ऐसा न हो पाया तो सरकार और मुख्यमंत्री दोनों का ही नुकसान होना तय है। क्योंकि इस चुनाव में जनता उसे दंडित करना चाहेगी जो इस स्थिति के लिये सही में जिम्मेदार है। समरणीय है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा लम्बे अरसे से यह शिकायत करती रही है कि वरिष्ठ कार्यकर्ता की अनदेखी हो रही है। यह शिकायत हाईकमान तक भी पहुंची और हाईकमान ने सरकार के सुचारू संचालन के लिये एक कमेटी का गठन भी कर दिया। लेकिन इस कमेटी के सदस्य कॉल सिंह ठाकुर और रामलाल ठाकुर के यह ब्यान भी रिकॉर्ड पर है कि इस कमेटी की कोई बैठक तक नहीं हुई है। इन लोगों से राय तक नहीं ली गयी है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप अन्त तक चलता रहा। कांग्रेस अध्यक्षा को यहां तक कहना पड़ा कि कार्यकर्ता बाहर प्रचार के लिये निकलने को तैयार नहीं है। इसी वस्तुस्थिति में चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया। अभी वरिष्ठ मंत्री चंद्र कुमार का जो ब्यान वायरल होकर सामने आया है उसने वर्तमान संकट के लिये मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों को बराबर का जिम्मेदार ठहराया है। इसी परिदृश्य में जो प्रश्न सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से पूछे हैं उनका कोई जवाब मुख्यमंत्री की ओर से नहीं आया है। जबकि आने वाले दिनों में और जोर से यह सवाल पूछे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि खनन माफिया, भू माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस दावे के बाद यह सवाल उछला है कि मुख्यमंत्री के अपने ही गांव के पास स्थित स्टोन क्रेशर को अदालत के आदेशों से वहां से हटाने की नौबत क्यों आयी। मुख्यमंत्री के ही चुनाव क्षेत्र में राजा नादौन की एक लाख कनाल से ज्यादा अदालत द्वारा विलेज कामन लैण्ड घोषित जमीन की खरीद फरोखत क्यों हो रही है। इसी जमीन से लैण्ड सीलिंग सीमा से भी अधिक की खरीद बेच कैसे हो गयी? कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान जारी की गयी चार्जशीट पर अब तक कोई कारवाई क्यों नहीं हो पायी।

# पांच साल में भाजपा सांसद ने सांसद निधि से खर्च की 19,30,45,875 की राशि

**शिमला/शैल।** भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप ने रिकॉर्ड तोड़ सांसद निधि खर्च की है, जहां कोविड संकटकाल के समय दो साल तक सांसद निधि प्राप्त नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी भाजपा सांसद ने 100 प्रतिशत से ज्यादा पैसा खर्च किया है।

उन्होंने कहा की कांग्रेस पार्टी केवल मात्र दुष्प्रचार में विश्वास रखती है और केवल मात्र वर्तमान सांसद की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि 6 बार के पूर्व सांसद केडी सुल्तानपुरी ने अपनी सांसद निधि को कहां-कहां खर्च किया उसका पूर्व विवरण इनको जनता के समक्ष रखना चाहिए।

उन्होंने कहा की 2019 से 2024 तक पांच साल में भाजपा सांसद ने 19 करोड़ की सांसद निधि से बढ़कर 19,30,45,875 की सांसद निधि खर्च की जो की एतिकासिक है। जैसा की विदित है हर सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ की सांसद निधि स्वीकृत होती है और इस कार्यकाल के दौरान 2 साल के लिए कोविड संकटकाल के समय सांसद निधि प्राप्त ही नहीं हुई।

उन्होंने कहा की भाजपा सांसद ने शिमला जिला में 7,26,65,000, सोलन जिला में 5,44,47,875 और सिरमौर में 6,59,33,000 की राशि स्वीकृत करी है। यानी कुल राशि 19,30,45,875 स्वीकृत हुई है।

अगर हम विधानसभा क्षेत्र अनुसार बात करें तो शिमला जिला के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसके लिए सुरेश कश्यप ने चौपाल में 98,00,000, जुब्बल कोटखाई में 1,29,25000, कसुंपटी में 1,05,15,000, रोहडू में 1,13,75,000, शिमला ग्रामीण में 1,30,30,000, शिमला शहरी में 58,00,000 और ठियोग में 9,22,00,000 की राशि स्वीकृत की। इसी प्रकार सोलन जिला के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें अर्की में 1,43,89,000, दून में 98,50,000, कसौली में 1,12,33,875, नालागढ़ में 80,75,000 और सोलन में 1,09,00,000 को राशि स्वीकृत की। सिरमौर जिला में भी 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें कश्यप ने नाहन में 1,66,53,000, पच्छाद में 1,79,50,000, पांवटा साहिब में 68,70,000, शिलाई में 1,20,10,000 और श्री रेणुका जी में 1,24,50,000 की राशि स्वीकृत की।

उन्होंने कहा की भाजपा सांसद ने मोदी सरकार की मदद से शिमला सांसद क्षेत्र में उत्तम कार्य किए है जो की अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। आईआईएम धौलाकुआं जिला सिरमौर के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि 309 करोड़ है, मेडिकल कॉलेज नहान भवन की स्वीकृत राशि 370 करोड़, रेणुका बिजली डैम की स्वीकृत राशि 6946.99 करोड़, ग्रीन कॉरिडोर एन. एच. 707 पांवटा साहिब - राजवन शिलाई हाटकोटी के लिए स्वीकृत राशि 1426 करोड़, राष्ट्रीय केंद्र रोग नियंत्रण लैब के 3 कमरे भी स्वीकृत हो चुके हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ 5000 करोड़, चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन 1540.15 करोड़, सुन्नी पावर प्रोजेक्ट 382 मेगावॉट 2614.51 करोड़, परमाणु शिमला फोरलेन 2730 करोड़, चंडीगढ़ बद्दी फोर लेन 452 करोड़, सीपेट बद्दी 46 करोड़, 54 करोड़ की लागत से प्रस्तावित ठियोग बाईपास और अनेकों काम सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में किए गए हैं।